हुक्मा / आदेश 12/2008

दिनांक	आज्ञा पत्र	
29.4.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उपस्थित। [illegible] के नकल रिमांड का पत्रावली वापिस अवर कलक्टर [illegible] दिनांक 6.5.24 को पेश हो।	
6.5.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उपस्थित। [illegible] पर अपील दायर है। [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना [illegible] दायर किया जाता है अपीलांट [illegible] पेश हो। पत्रावली वापिस पेश होने अपीलांट दरख्वास्त दिनांक 24.6.24 को पेश हो।	
24.6.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उपस्थित। अपीलांट दरख्वास्त पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 29.7.24 को पेश हो।	
29.7.24	पत्रावली पेश। ~~वकील~~ अपीलाट न उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत हैं। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब मुकमील दाखिल दफ्तर हो।	भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

Not Press
अपील चलाना
नहीं चाहते हैं
अपील
मोहर सिंह